जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 27.08.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5261 द्वारा सड़क मार्ग में बाईक को ट्रक द्वारा पीछे से ठोकर लगने के कारण घायल 01 व्यक्ति को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5261 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत विश्वनाथपुर से इवेन्ट संख्या 31528 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में बाईक को ट्रक द्वारा पीछे से ठोकर लगने के कारण 01 व्यक्ति (संदीप पुत्र अज्ञात ग्राम सारनाथ जनपद वाराणसी) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सुचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 07 मिनट में पहुचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियो द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 राधेश्याम वर्मा, हो0गा0चा0 राजकिशोर।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.08.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के एसिड अटैक के मामले में 01 अभियुक्ता को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 27.08.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश ए0सी0जे0/पाक्सो एक्ट प्रथम कोर्ट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 2058/2014 धारा 326, 120बी भा0द0वि0 के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्ता नाम पता विनीता उर्फ पिंकी पत्नी ओमप्रकाश निवासी पडोखर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 326ए भा0द0वि0 के तहत दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50000 रु/0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्ता को 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। उपरोक्त अभियुक्ता को मामले मे धारा 120बी भा0द0वि0 सपठित धारा 326ए के आरोप में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50000 रु/0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्ता को 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्ता द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।